केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/समन्वय/ग्रेडिंग प्रणाली/2024 **दिनांक : 16/05/2024**

अधिसूचना

दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषय में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के साथ विषय-वार ग्रेड देने के लिए सीबीएसई द्वारा अपनाई गई **'रिलेटिव ग्रेडिंग'** की प्रणाली पहले ही दिनांक 25 फरवरी 2021 के परिपत्र संख्या सीबीएसई/परीक्षा नियंत्रक/समन्वय/2021 के माध्यम से प्रसारित की जा चुकी है।

उक्त परिपत्र की सामग्री सभी हितधारकों की जानकारी के लिए निम्नानुसार दोहराई जाती है -

सीबीएसई दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषय में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के साथ विषय-वार ग्रेड प्रदान करता है। दिए गए ग्रेड दसवीं और बारहवीं कक्षा के परीक्षार्थियों को जारी किए गए मार्कशीट सह प्रमाण पत्र में परिलक्षित होते हैं।

सीबीएसई द्वारा अपनाई गई **'रिलेटिव ग्रेडिंग'** रिलेटिव ग्रेडिंग पर आधारित है जो पूर्ण ग्रेडिंग के बजाय अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसमें पूर्व निर्धारित कट ऑफ स्तरों के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि, ग्रेड अंक सीमा यानी 91 से 100, 81 से 90 या उससे अधिक पर निर्धारित नहीं किए जाते हैं, बल्कि समूह के आधार पर, जो परीक्षार्थियों की सापेक्ष मेरिट पर आते हैं। विषय में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर अलग-अलग विषय में ग्रेड भिन्न-भिन्न होते हैं।

ग्रेड दिए जाने के लिए, सभी उत्तीर्ण छात्रों को 8 समान समूहों में विभाजित रैंक क्रम में रखा जाता है और उन्हें निम्नानुसार ग्रेड प्रदान किए जाते हैं -

ए - 1	सर्वोत्कृष्ट 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
ए - 2	तत्पश्चात 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
बी - 1	तत्पश्चात 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
बी - 2	तत्पश्चात 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
सी - 1	तत्पश्चात 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
सी - 2	तत्पश्चात 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
डी - 1	तत्पश्चात 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
डी - 2	तत्पश्चात 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
ई	अनिवार्य पुनरावृत्ति के परीक्षार्थियों के लिए

अभ्यर्थियों को रैंक क्रम में रखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है :

(क) जहां भी आवश्यक हो, एक समान अंकों (Tie) के समायोजन के लिए परीक्षार्थियों के अनुपात में मामूली बदलाव किए जाते हैं।

(ख) समान अंक (Tie) होने की स्थिति में, समान अंक प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को समान ग्रेड दिए जाते हैं।

(ग) ग्रेडिंग पद्धति का उपयोग उन विषयों में किया जाता है जहाँ उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या से अधिक 500 है।

(घ) उन विषयों के संबंध में जहां किसी विषय में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की कुल संख्या 500 से कम है, ग्रेडिंग को अन्य समान विषयों में ग्रेडिंग और वितरण के पैटर्न पर अपनाया जाएगा।

निम्नलिखित उदाहरण अनुसार ग्रेडिंग प्रणाली कार्य करती है :

ग्रेड	**विषय और विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या हिंदी - 159052**	**विषय और विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या इतिहास - 158585**	**विषय और विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या अर्थशास्त्र - 383647**	**विषय और विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या NCC-304**
ग्रेड A1	159052 (x) 1/8 =19881.5 ~19882 अर्थात इस प्रकार सर्वोत्कृष्ट 19882 परीक्षार्थी ग्रेड A1 में शामिल होंगे	158585(x) 1/8 =19823.12 ~19824 अर्थात इस प्रकार सर्वोत्कृष्ट 19824 परीक्षार्थी ग्रेड ए1 में शामिल होंगे	383647(x) 1/8 =47955.87~47956 इसका मतलब है कि सर्वोत्कृष्ट 47956 परीक्षार्थी ग्रेड A1 में शामिल होंगे	304(x)1/8 = 38 अर्थात इस प्रकार सर्वोत्कृष्ट 38 परीक्षार्थी ग्रेड A1 में शामिल होंगे
ग्रेड A2	तत्पश्चात 19882 परीक्षार्थी ग्रेड A2 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 19824 परीक्षार्थी ग्रेड A2 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 47956 परीक्षार्थी ग्रेड A2 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 38 परीक्षार्थी ग्रेड A2 में शामिल होंगे
ग्रेड B1	तत्पश्चात 19882 परीक्षार्थी ग्रेड B1 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 19824 परीक्षार्थी ग्रेड B1 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 47956 परीक्षार्थी ग्रेड B1 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 38 परीक्षार्थी ग्रेड B1 में शामिल होंगे
ग्रेड B2	तत्पश्चात 19882 परीक्षार्थी ग्रेड B2 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 19824 परीक्षार्थी ग्रेड B2 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 47956 परीक्षार्थी ग्रेड B2 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 38 परीक्षार्थी ग्रेड B2 में शामिल होंगे
ग्रेड C1	तत्पश्चात 19882 परीक्षार्थी ग्रेड C1 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 19824 परीक्षार्थी ग्रेड C1 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 47956 परीक्षार्थी ग्रेड C1 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 38 परीक्षार्थी ग्रेड C1 में शामिल होंगे
ग्रेड C2	तत्पश्चात 19882 परीक्षार्थी ग्रेड C2 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 19824 परीक्षार्थी ग्रेड C2 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 47956 परीक्षार्थी ग्रेड C2 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 38 परीक्षार्थी ग्रेड C2 में शामिल होंगे
ग्रेड D1	तत्पश्चात 19882 परीक्षार्थी ग्रेड D1 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 19824 परीक्षार्थी ग्रेड D1 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 47956 परीक्षार्थी ग्रेड D1 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 38 परीक्षार्थी ग्रेड D1 में शामिल होंगे
ग्रेड D2	तत्पश्चात 19882 परीक्षार्थी ग्रेड D2 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 19824 परीक्षार्थी ग्रेड D2 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 47956 परीक्षार्थी ग्रेड D2 में शामिल होंगे	तत्पश्चात 38 परीक्षार्थी ग्रेड D2 में शामिल होंगे

बोर्ड द्वारा अपनाई गई 'रिलेटिव ग्रेडिंग' प्रणाली में, किन्हीं दो विषयों में समान अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को उन दो विषयों में समान ग्रेड नहीं मिल सकता है। विषय में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या और उनके सापेक्ष अंकों के आधार पर ग्रेड अलग-अलग होंगे।

यह सभी हितधारकों की जानकारी के लिए है।

हस्ता./-

(डॉ. संयम भारद्वाज)

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि : वेब एडमिन को सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।